उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन **PENSION**

पत्र सं० 1639 पें० एवं आर०–28 / पाकालि

दिनांक :– 30 मई / 11

समस्त पेंशन वितरण अधिकारी

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / वितरण निगम

....

....

परिपत्र

विषय:– दिनांक 01.01.06 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर अनुपातिक कमी तथा विभागीय कार्यवाही / दण्ड अथवा अन्यथा के कारण पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन कम किये जाने सम्बन्धी दण्ड के अनुपालन में पेंशन की धनराशि कम किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1989–पें एवं आर०–28 / पाकालि / 09–60–पी०एण्डआर० / 98(टी०सी०) दिनांक 26 अगस्त ,2009 एवं 5226–पें एवं आर०–28 / पाकालि / 10–60–98(टी०सी०) दिनांक 22 नवम्बर 2010, 5350–पें एवं आर०–28 / पाकालि / 09–60–पी०एण्डआर० / 98(टी०सी०) दिनांक 14 दिसम्बर ,2010 के द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु संलग्नक प्रारूप–1 (यथासंशोधित) पर भरकर इसे प्रमाणित करते हुए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गये। आदेश संख्या 5226–पें एवं आर०–28 / पाकालि / 10–60–98(टी०सी०) दिनांक 22 नवम्बर ,2010 में जहॉ पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहॉ पर पेंशन की धनराशि अनुपातिक रूप से कम किये जाने का भी पैरा–3 (1) में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त आदेशों के अभीष्ठ अनुपालन हेतु निम्नलिखित अवश्य रूप से सुनिश्चित किया जाना है :–

(1). दिनांक 01.01.06 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर पेंशन की धनराशि में अनुपातिक कमी प्रभावी की गई।

(2). विभागीय कार्यवाही / प्रदत्त दण्ड अथवा अन्यथा प्रशासनिक आदेशों के कारण पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन कम करने के आदेशों के अनुपालन में पूर्व में निर्गत पी०पी०ओ० में पेंशन की कम धनराशि जो प्राधिकृत की गयी है, को दृष्टिगत करते हुए पेंशनरों की पेंशन से तद्नुसार कम किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली गई है।

यदि उपरोक्त अभीष्ठ अनुपालन में पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई को कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो पूर्व में निर्गत मूल पी०पी०ओ० का सन्दर्भ इंगित करते हुए मूल पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी से पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में बहुमूल्य अभिमत प्राप्त किया जा सकता है जिससे कारपोरेशन के उक्त आदेशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

क्रमशः 2 पर

पत्र सं0 1639 पें0 एवं आर0–28/पाकालि/ तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अध्यक्ष,** उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
2. **प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल,** विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।
3. **मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. **अपर सचिव (तृतीय/पेंशन एवं आरक्षण),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. **समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी,** परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत परिपत्र के बिन्दु 1 एवं 2 के सम्बंध में वांछित विवरण का उल्लेख पी.पी.ओ. में किया जाना सुनिश्चित करें।
5. **वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन),** को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. **पुलिस महानिरीक्षक,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. **अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. **कार्यालय प्रति।**

(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पी0एण्डआर0)